न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/5340/2003/सवाईमाधोपुर

किशन लाल पुत्र श्री रामनारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम महेसरा तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर

अपीलार्थी

बनाम

1. मोती लाल 2. लक्षमीनारायण पुत्रगण मांगीलाल
3. बाबू लाल 4. रामदयाल पुत्रगण गोपी
5. कन्हैयालाल पुत्र मोती लाल सभी जाति बैरवा निवासी ग्राम महेसरा तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलारनाडूंगर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री वी.पी.सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक

1. यह अपील राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15–10–03 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर बोली के समक्ष अपीलार्थी

वादी ने प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88,89एवं 188 के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर दो तनकीयात कायम की । बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 3–1–2003 से वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर वादी को आराजी खसरा नम्बर 129/2 रकबा 4बीघा 17विस्वा का खातेदार घोषित करते हुये वादी के कब्जे की आधे हिस्सें तक की भूमि में प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी की ओर से राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15–10–03 से अपील को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी को विवादित आराजी का खातेदार मानकर उदघोषणा की डिक्री पारित करने के बाबजूद स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री केवल आधे हिस्से तक ही पारित करने में विधिक त्रुटि की है। जबकि अपीलार्थी ने स्वयं को खातेदार घोषित करने के अलावा विवादित सम्पूर्ण भूमि पर काबिज होना ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा साबित किया था तथा सम्पूर्ण आराजी अकेले अपीलार्थी को आवंटित की जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया था फिर भी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक सजरे के आधार पर प्रत्यर्थी को आधे हिस्से पर काबिज होना मानने में विधिक भूल की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरीय सम्बत 2009

से 2031 को आधार मानकर प्रत्यर्थी का आधे हिस्से में कब्जा मानने में विधिक त्रुटि की है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री वादी का वाद डिक्री नहीं करने की हद तक निरस्त किया जाकर प्रत्यर्थी के विरूद्ध सम्पूर्ण विवादित भूमि के बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे।

5. जबाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि उभय पक्ष एक ही परिवार के हैं। जबाब दावे में सजरा पेश किया गया है। खसरा नम्बर 129 के पूर्व खातेदार दुर्गा सिंह वगैरा रहे हैं। सम्बत 2009 से प्रत्यर्थी के पिता मांग्या उप कृषक की हैसियत से काबिज रहे हैं।उक्त भूमि सीलिंग में आने से हमने आपस में ही तय कर लिया था कि किशन लाल को ही आवंटन करा दें क्योंकि हमारे खाते में ज्यादा भूमि थी। आवंटन के बाद बटवारा हुआ जिसमें 1/2 हिस्सा हमारे नाम आया। हमने सम्बत 2009–34 तक की खसरा गिरदावरी पेश की है। सम्बत 2034 के बाद खसरा गिरदावरी में काश्तकार का नाम दर्ज होना बन्द हो गया था। रेकार्ड से 1/2 हिस्सा हमारा होना पूर्णतया सिद्ध है। इसलिये अपील खारिज योग्य है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी का अपीलार्थी को आवंटन किया गया था। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी अपील में गये और राजस्व मण्डल तक आवंटन बहाल रहा है। आवंटन बहाल रहने की स्थिति में अपीलार्थी विवादग्रस्त आराजी का विधिक रूप से अधिकारी है। इसलिये विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से अधिनियम की धारा 88 के तहत प्रस्तुत वाद को डिक्री करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। साथ ही अधिनियम की धारा 188 के

तहत भी वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री चाही गई है। जिसके बाबत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का आधे हिस्से पर कब्जा मानते हुये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की है। शेष आधे हिस्से पर प्रत्यर्थी का कब्जा होने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नहीं की है। विधि अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत वाद वही व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जो कि काबिज काश्त हो।

8. अब निर्णायक बिन्दु यह है कि वाद दायरी के दिन अपीलार्थी सम्पूर्ण भूमि पर काबिज है अथवा नहीं। कब्जे के सम्बन्ध में जो साक्ष्य पेश की गई है उसके अनुसार आधी भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा न होकर प्रत्यर्थी का कब्जा प्रमाणित होता है। इस बाबत पत्रावली पर आई साक्ष्य का पूर्ण विवेचन कर विचारण न्यायालय ने आधे हिस्से के लिये स्थाई निषेधाज्ञा जारी की है क्योंकि आधे हिस्से पर अपीलार्थी का कब्जा न होकर प्रत्यर्थी का कब्जा प्रमाणित होता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.

RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act1955- Section 224readwith Section100,Code of Civil Procedure 1908-Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not acquired title by sale deed- Therefore in this cecond appeal unless it is found that the findkigs recorded are illegal or purchase in nuture, till lthen this court cannot disturb the concureent findings recorded by the Court below as held in AIR1959S.C.page 57-Hence this second appeal was dismissed.

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य